रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931
No. 145] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931

भारतीय दन्त परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2009

सं. डी. ई.-167-2008.—दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का 16) के खंड 20 के उप–खंड 2 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा केरल उच्च न्यायालय, एरनाकुलम की रिट याचिका संख्या 30845/2003 के संबंध में दिनांक 24.6.2004 के निर्णय और आदेश के संदर्भ में अपील करने की विशेष इजाजत (दीवानी) संख्या (संख्याएं) 24295/2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.5.2007 के आदेश द्वारा स्थापित राघवन समिति द्वारा जारी किए गए दिनांक 25.3.2009 के निर्देशों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व–अनुमोदन से भारतीय दंत्य परिषद निम्न विनियम बनाती है:

1. लघु शीर्ष तथा प्रवर्तन

(i) इन विनियमों को दंत्य कालेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. दंतचिकित्सक अधिनियम, 1948 में तथा उसके अधीन बनाए गए तथा समय–समय पर यथासंशोधित किसी भी विनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद दंत्य कालेजों के प्रबंधक वर्ग/प्रिंसीपल का यह कर्त्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे कालेजों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे यूजी/पीजी छात्रों को दंत्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करें और अपने दंत्य कालेजों में किसी भी प्रकार की रैगिंग को रोकने/निषिद्ध करने/रोक लगाने की दिशा में सभी आवश्यक उपाय करें ताकि छात्र विशाल यूजी/पीजी पाठ्यक्रम तथा इसके विभिन्न प्राचलों और दंत्य शिक्षा की अवधारणाओ का एक शांत तथा शांतिपूर्ण वातावरण में अध्ययन कर सकें क्योंकि दंत्य शिक्षा के लिए कठिन अध्ययन की जरूरत रहती है।

3. रैगिंग की विभिन्न कोटियां

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित राघवन समिति ने अन्य के साथ–साथ रैगिंग की निम्न कोटियों का उल्लेख किया है:

(i) रैगिंग के अनेक पक्ष होते हैं जिनके अन्य के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक आयाम होते हैं।

(ii) ऐसा कोई भी कार्य जो किसी छात्र के नियमित शैक्षणिक क्रियाकलाप को अवरुद्ध, विच्छिन्न अथवा विक्षुब्ध करता है, उसे रैगिंग के शैक्षणिक से संबंधित पक्ष समझा जाना चाहिए; इसी प्रकार किसी व्यक्ति अथवा वरिष्ठों के समूह को सौंपे गए किसी शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए कनिष्ठ छात्र की सेवाओं का शोषण भी शैक्षणिक संबंधी रैगिंग का एक पक्ष होता है।

(iii) वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्र से पैसा खसोटना अथवा उसके ऊपर कोई जबरन खर्च का बोझ डालने के आर्थिक आयामों के लिए रैगिंग के निमित्त रैगिंग का एक पक्ष समझा जाना चाहिए।

(iv) किसी भी प्रकार का शारीरिक दुर्व्यवहार जिसमें यौन दुर्व्यवहार की सभी कोटियां समलैंगिक प्रहार, निर्वस्त्र करना, अश्लील तथा कामुक कृत्यों तथा चेष्टाओं के लिए मजबूर करना, स्वास्थ्य अथवा व्यक्ति को शारीरिक क्षति अथवा कोई अन्य खतरा पहुंचाना शामिल है, उसे आपराधिक आयामों वाली रैगिंग की कोटि में रखा जा सकता है।

(v) मौखिक शब्दों, ई–मेल्स, स्नेल–मेल्स, द्वारा कोई भी कार्य अथवा दुर्व्यवहार, सार्वजनिक अपमान को भी रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पक्षों के भीतर समझा जाना चाहिए। इस पक्ष में दूसरों को घबराने में सक्रिय अथवा निश्चेष्ट रूप में हिस्सा लेकर विकृत आनंद, प्रतिनिधिक अथवा पर–पीड़नशील रोमांच प्राप्त करना; उच्च शिक्षा में दाखिले तथा छात्रावासों में जीवन के लिए 'नए छात्रों' को तैयार करने में तत्परता की गैर–मौजूदगी को भी रैगिंग का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष समझा जाना चाहिए—वरिष्ठों अथवा अजनबियों के साथ वैचारिक आदान–प्रदान का सामना करने के कौशल माता–पिता द्वारा भी सिखाए जा सकते हैं। ऐसा कोई भी कृत्य जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य अथवा आत्मविश्वास को प्रभावित करता है उसे भी रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अर्थों में समझा जा सकता है।

(vi) रैगिंग का राजनैतिक पक्ष इस तथ्य से उजागर होता है कि जो संस्थान प्रतिनिधित्व में छात्रों की लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं और संस्थान के निकायों के भीतर शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को पहचान प्रदान करते हैं, उनमें रैगिंग की घटनाएं कम होती हैं।

(vii) रैगिंग के मानवाधिकार पक्ष के तहत वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों के साथ की गई अवमानना के जरिए उनके मानवीय सम्मान के मूल अधिकार को पहुंचाई गई क्षति शामिल होती है, जिसमें पीड़ितों द्वारा अक्सर आत्महत्या की चरम कार्रवाई कर ली जाती है।

4. **रैगिंग पर रोक लगाने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश**

एसएलपी संख्या 24295/2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राघवन समिति ने 7.5.2007 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16.5.2007 के आदेश में इस मामले में निम्न आदेश पारित किया है:

हमने शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या से निपटने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के वास्ते इस न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का परिशीलन कर लिया है। डॉ. आर. के. राघवन की अध्यक्षता वाली समिति ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति के अनुसार समस्या से निपटने के लिए निम्न तत्वों पर बल दिए जाने की जरूरत है:

(क) रैगिंग पर रोक लगाने की मूल जिम्मेदारी स्वयं शैक्षणिक संस्थानों पर है।

(ख) रैगिंग, उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

(ग) इस बुराई पर रोक लगाने के लिए संस्थानों के वास्ते प्रोत्साहन उपलब्ध होने चाहिए और जो संस्थान ऐसा करने में असफल रहते हैं, उनके लिए हतोत्साहन होने चाहिए।

(घ) शैक्षणिक अध्ययन अथवा परिसर जीवन में दाखिले को किसी भी वयस्क नागरिक को देश के कानून के दांडिक प्रावधानों से प्रतिरक्षित नहीं कर देना चाहिए।

(ड.) रैगिंग को स्कूल स्तर से मानवीय मूल्यों को आत्मसात कराने में असफलता के रूप में समझा जाना चाहिए।

(च) छात्रों, विशेष रूप से संभावित 'रैगिंग' करनेवालों की व्यवहार पद्धतियों की पहचान किए जाने की जरूरत है।

(छ) किसी भी रोक को प्रभावी बनाने के लिए स्कूल, उच्च शैक्षिक संस्थानों, जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की ओर से एकजुट प्रयास किए जाने की जरूरत है।

(ज) इस प्रक्रिया में मीडिया और सिविल समाज को शामिल किया जाना चाहिए।

समिति ने कई सिफारिशें की हैं। संप्रति, हम ऐसा महसूस करते हैं कि निम्न सिफारिशें तनिक भी देरी लगाए बिना कार्यान्वित की जानी चाहिए:

(1) **जो दंड दिया जाए वह अनुकरणीय और इतना कठोर होना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति के विरुद्ध निवारक का काम कर सके।**

(2) **रैगिंग की ऐसी प्रत्येक घटना के मामले में, जिसमें पीड़ित अथवा उसके माता–पिता/अभिभावक अथवा संस्थान का अध्यक्ष कार्रवाई के लिए संस्थान की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं संस्थान के अधिकारियों द्वारा निरपवाद रूप से स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में संस्थानगत प्राधिकारी की तरफ से किसी तरह की कमी अथवा लापरवाही अथवा जानबूझकर लगाई गई देरी को संस्थान के अधिकारियों की ओर से आपराधिक लापरवाही का एक कृत्य समझा जाएगा। यदि कोई पीड़ित अथवा उसके माता–पिता अथवा अभिभावक रैगिंग के बारे में सीधे ही पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो ऐसा करने से एफआईआर दायर करने की जो अपेक्षा संस्थानगत अधिकारी से की जाती है, वह उससे मुक्त नहीं हो जाएगा।**

(3) **न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि रैगिंग से जुड़े मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए जिससे कि इस आशय का एक सही संदेश मेजा जा सके कि रैगिंग को सिर्फ हतोत्साहित ही नहीं किया जाना बल्कि उसके साथ सख्ती से निपटा जाना है।**

इसके अलावा हम यह निदेश देते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा संबंधित राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा से रैगिंग संबंधित विषय को शैक्षिक पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। इस पक्ष को "मानव अधिकार" विषयों के शिक्षण में शामिल किया जा सकता है।

शैक्षिक संस्थानों द्वारा दाखिले के लिए जारी की जानी वाली विवरणिकाओं में यह स्पष्टतः निर्धारित किया जाना चाहिए कि यदि ऐसा पाया गया कि दाखिला मांगने वाला प्रार्थी पूर्व में रैगिंग से जुड़ा रहा है अथवा यदि बाद में ऐसा देखने में आता है कि वह रैगिंग में शामिल रहा है तो उसे शैक्षिक संस्थान में दाखिले से इंकार किया जा सकता है अथवा उसे निष्कासित किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जिसमें रैगिंग की बुराई और यदि कोई छात्र रैगिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके मामले में होने वाले परिणामों का व्यापक प्रचार किया गया हो।

संबंधित संस्थान के अधिकारियों और कार्मिकों की यह सामूहिक जिम्मेदारी होगी और साथ ही यह पता लगाने के प्रयोजन से उनकी भूमिका की जांच की जा सकेगी कि क्या उन्होंने रैगिंग को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं और यदि वे ऐसा करने में असफल रहे हैं तो कार्रवाई की जा सकती है; उदाहरण के लिए राज्य सरकार से सहायता अनुदान अथवा सहायता नामंजूर की जा सकती है।

संस्थानों द्वारा रैगिंग–विरोधी समितियां और दस्ते तत्काल स्थापित किए जाएंगे और स्थितिअनुसार समिति अथवा दस्ते का कार्य यह देखना होगा कि समिति की सिफारिशों का, विशेष रूप से जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है निरपवाद रूप से अनुपालन किया जाता है और यदि ऐसा देखने में आता है कि कोई विचलन हुआ है तो ऐसा मामला तत्काल न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा। न्यायलय के आदेश के अनुसरण में गठित की गई समिति स्थापित की जाने वाली रैगिंग–विरोधी समितियों और दस्तों के कार्यकरण का मानीटरन करना जारी रखेंगी। साथ ही वे उन सिफारिशों के कार्यान्वयन का भी मानीटरन करेंगी जिनके बारे में ऊपर उल्लेख किया गया है। "केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद, प्रिंसीपल कालेज, केरल के मामले में 2009 की सिविल याचिका संख्या 887 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के उद्धरण दंत्य संस्थानों की जानकारी, मार्गदर्शन और उनके द्वारा कठोर अनुपालन के लिए संलग्नक ए के रूप में भी नत्थी किए गए हैं"।

(5) **उद्देश्य: देश के भीतर दंत्य कालेजों/संस्थानों से विधि द्वारा निषिद्ध करके रैगिंग के सभी रूपों का उन्मूलन करना, इन विनियमनों के प्रावधानों का पालन करके इसकी पुनरावृत्ति को रोकना और रैगिंग में शामिल होने वाले व्यक्तियों को इन विनियमों में अथवा लागू समुचित विधि में यथाउपबंधित दंड देना।**

6. **परिभाषाएं:** इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए:

6.1 "संस्थान/कालेज" का आशय ऐसे दंत्य कालेज/संस्थान से है जो देश में दंत्य चिकित्सा प्रदान करने के प्रयोजन से दंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 तथा उसके अधीन बनाए गए समय–समय पर यथासंशोधित विनियमों के प्रावधानों के अधीन स्थापित किया गया हो।

6.2 "संस्थान का अध्यक्ष" का आशय दंत्य कालेज/संस्थान के "प्रिंसीपल/संकाय अध्यक्ष" (अथवा उसे जिस किसी भी पदनाम से बुलाया जाए से है)।

6.3 "रैगिंग" का आशय मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा अथवा किसी ऐसे आचरण अथवा किसी ऐसे कार्य से है जिसका प्रभाव किसी छात्र को सताने, अथवा उसके साथ उग्रतापूर्ण बरताव अथवा व्यवहार करने, ऐसे उपद्रवी अथवा अनुशासनहीन क्रियाकलापों में प्रवृत्त होने से है जो खीज, कष्ट अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाता हो या ऐसी संभावना हो अथवा जो किसी नए छात्र अथवा कनिष्ठ छात्र के भीतर भय अथवा आशंका पैदा करता हो अथवा छात्रों से कोई ऐसा कार्य या ऐसा कोई निष्पादन करने को कहना जोकि ऐसा छात्र सामान्य जीवनक्रम में नहीं करेगा और जिससे ऐसे छात्र के भीतर शर्म अथवा परेशानी उत्पन्न होने अथवा पैदा किए जाने का इतना प्रभाव पड़ता हो कि किसी नए छात्र अथवा कनिष्ठ छात्र के शरीर अथवा मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

7. **रैगिंग के दंडनीय घटक**

- रैगिंग के लिए दुष्प्रेरण
- रैग करने के लिए आपराधिक षड़यंत्र
- गैर–कानूनी जनसमूह और रैगिंग के दौरान बलवा
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता और नीतिशास्त्र का उल्लंघन
- शरीर को क्षति, चोट अथवा गंभीर चोट पहुंचाना
- गैर–कानूनी अवरोध
- गैर–कानूनी परिरोध
- आपराधिक बल का प्रयोग
- प्रहार और साथ ही यौन प्रहार अथवा यहां तक कि अप्राकृतिक अपराध
- खसोट
- आपराधिक अतिचार
- संपत्ति के विरुद्ध अपराध
- आपराधिक अभित्रास
- पीड़ित/पीड़ितों के विरुद्ध उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध करने का प्रयास
- मौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक अवमानना
- "रैगिंग" की परिभाषा से निसृत अन्य सभी अपराध

8. **संस्थान के स्तर पर रैगिंग का प्रतिषेध करने के लिए उपाय**

8.1 संस्थान रैगिंग को कानून के अधीन महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार तथा अन्य अत्याचारों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार के बराबर का संज्ञानात्मक अपराध मानते हुए तथा सभी संस्थानों में सभी रूपों में रैगिंग का प्रतिषेध करते हुए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के अधिनियम का, यदि कोई हो तो, अथवा अधिनियमित किया गया हो तो उसके प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

8.2 समूचे संस्थान में जिसमें उसके विभाग, घटक यूनिट, उसके सभी परिसर (शैक्षणिक, आवासीय, खेलकूद, कैंटीन आदि) चाहे वे परिसर के भीतर स्थित हों या उससे बाहर स्थित हों तथा छात्रों के परिवहन के सभी साधनों में चाहे वह सार्वजनिक हो अथवा निजी शामिल हैं रैगिंग पर उसके सभी रूपों पर पाबंदी लगाई जाएगी।

8.3 जो लोग रैगिंग तथा/अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण के दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध संस्थान कठोर कार्रवाई करेगा।

9. **संस्थान के स्तर पर रैगिंग के निवारण के उपाय**

9.1 **दाखिलों से पूर्व:**

9.1.1 दाखिलों से संबंधित विज्ञापन में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होगा कि संस्थान में रैगिंग पर पूरी पाबंदी है तथा यदि कोई व्यक्ति रैगिंग तथा/अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण के लिए दोषी पाया जाएगा तो वह समुचित रूप से दंडनीय होगा।

9.1.2 ये विनियम अभ्यर्थियों के लिए दाखिला/अनुदेश पुस्तिका की विवरणिका में पूरी तरह से छापे जाएंगे जिनमें संलग्नक–I, भाग–I तथा भाग–I निर्दिष्ट किए जाएंगे।

9.1.3 "विवरणिका" तथा दाखिले संबंधी अन्य दस्तवेजों में सर्वोच्च न्यायालय तथा/अथवा यथाप्रयोज्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के सभी निर्देश शामिल किए जाएंगे जिससे कि अभ्यर्थियों और उनके माता–पिता/अभिभावकों को रैगिंग के प्रतिषेध तथा उसके परिणामों के बारे में संवेदीकृत किया जा सके। यदि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय है तो वह अपने अधीन संस्थानों के लिए अपनी "विवरणिका" में इस तरह की जानकारी शामिल करना अनिवार्य बना देगा।

9.1.4 दाखिले/नामांकन के लिए आवेदन फार्म में इस आशय की एक मुद्रित प्रतिज्ञा होगी जो बेहतर हो कि हिंदी/अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तथा एक ऐसी प्रादेशिक भाषा में हो जिससे संस्थान तथा अभ्यर्थी परिचित हों (अंग्रेजी रूपांतरण संलग्नक–I, भाग–II) में दिया गया है, जिसे अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा और हस्ताक्षर किए जाएंगे कि वह रैगिंग के प्रतिषेध से संबंधित विधि और साथ ही उसके दंडों से अवगत है और साथ ही इस आशय की भी कि उसे किसी संस्थान द्वारा निष्कासित तथा/अथवा दाखिले से विवर्जित नहीं किया गया है और यह कि यदि वह रैगिंग तथा/अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया जाता/जाती है तो उसे समुचित रूप से दंडित किया जाएगा।

9.1.5 आवेदन–पत्र में इस आशय की भी एक मुद्रित प्रतिज्ञा होगी जोकि बेहतर हो अंग्रेजी/हिंदी में तथा एक ऐसी प्रादेशिक भाषा में हो जिससे संस्थान तथा माता–पिता/अभिभावक परिचित हों (अंग्रेजी रूपांतरण संलग्नक–I, भाग–II में दिया गया है) जिस पर अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक इस संबंध में हस्ताक्षर करेंगे कि वह भी इस विषय से संबंधित विधि से परिचित है और वह यदि उनका वार्ड रैगिंग तथा/अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया जाता है तो उसे दिए जाने वाले दंड से सहमत होंगे।

9.1.6 दाखिले के लिए आवेदन–पत्र के साथ स्थिति अनुसार स्कूल लीविंग प्रमाण–पत्र/अंतरण प्रमाण–पत्र/प्रवास प्रमाण–पत्र/चरित्र प्रमाण–पत्र के रूप में एक दस्तावेज संलग्न किया जाएगा जिसमें प्रार्थी के व्यवहार पर एक रिपोर्ट शामिल होगी जिससे कि संस्थान तदुपरांत ऐसे छात्र के बारे में जिसके मामले में इस संबंध में नकारात्मक प्रविष्टि हो, एक गहन निगरानी रख सकता है।

9.1.7 छात्रावास में दाखिले के इच्छुक छात्र को छात्रावास के लिए अपने आवेदन–पत्र के साथ संलग्नक–I (दोनों भाग) के रूप में एक अतिरिक्त आश्वासन देना होगा।

9.1.8 शैक्षणिक सत्र के आरंभ में संस्थान का अध्यक्ष संस्थान में रैगिंग को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों तथा अपराधियों का पता लगाने और उन्हें समुचित रूप से दंडित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा करने के लिए होस्टल वार्डनों, छात्रों, माता–पिता/अभिभावकों, संकाय, जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों जिनमें पुलिस शामिल है जैसे विभिन्न कार्मिकों/एजेंसियों की एक बैठक आयोजित करेगा और उसे संबोधित करेगा।

9.1.9 कुल मिलाकर समुदाय को तथा विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव तथा रैगिंग में प्रवृत्त होने वाले व्यक्तियों के प्रति संस्थान के रवैये से अवगत कराने के लिए सभी विभागों, छात्रावासों तथा अन्य भवनों और अन्य अतिसंवेदनशील स्थानों पर सभी नोटिस बोर्डों पर बड़े–बड़े पोस्टर (बेहतर हो यदि विधि के प्रावधानों, दंडों आदि के लिए अलग–अलग रंगों से युक्त बहुरंगी हों) सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। इस तरह के कुछ पोस्टर कतिपय अतिसंवेदनशील स्थानों में स्थायी प्रकृति के होंगे।

9.1.10 संस्थान रैगिंग का प्रतिषेध करने वाली विधि तथा रैगिंग के नकारात्मक पक्षों तथा रैगिंग पर पाबंदी लगाने और उसके दोषी पाए गए छात्रों के विरुद्ध किसी भी भय अथवा पक्षपात के बिना दंडित करने के संस्थान के संकल्प के बारे में समुचित प्रचार करने के लिए मीडिया से अनुरोध करेगा।

9.1.11 संस्थान सभी अतिसंवदेनशील स्थानों की पहचान करेगा तथा उन्हें समुचित रूप से प्रकाशित करेगा और तैनाती करेगा।

9.1.12 संस्थान अपने परिसर में विशेष रूप से अतिसंवेदनशील स्थानों में कड़ी सुरक्षा रखेगा। यदि जरूरी होगा तो शैक्षणिक सत्र के शुरू के महीनों के दौरान देर रात को या तड़के ऐसे बिंदुओं पर गहन पुलिस कार्रवाई का आश्रय लेगा।

9.1.13 संस्थान नए शैक्षणिक वर्ष के आरंभ होने से पहले छुट्टियों के समय का प्रयोग पोस्टरों, लीफलेटों, संगोष्ठियों, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से रैगिंग के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान शुरू करने के लिए करेगा।

9.1.14 संस्थान के संकाय/विभाग/यूनिट शैक्षणिक वर्ष के आरंभ से काफी पहले प्रवेश की प्रक्रिया के मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की सुस्पष्ट भावना सहित एक प्रवेशकालीन व्यवस्था रखेंगे (जिसमें वे शामिल होंगे जो प्रत्याशा करते होंगे, छात्रों के किसी वर्ग के किन्हीं विशेष जरूरतों का पता लगाने और उनकी पूर्ति के लिए योजना बनाना शामिल है)।

9.2 दाखिल होने पर:

9.2.1 संस्थान में दाखिल होने वाले प्रत्येक नए छात्र को एक छपा हुआ लीफलेट दिया जाएगा जिसमें इस आशय के ब्यौरे दिए होंगे कि उसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता तथा मार्गदर्शन के वास्ते कब और किसके साथ संपर्क करना है (वार्डनों, संस्थान के अध्यक्ष, रैगिंग–विरोधी समितियों, संबंधित जिला और पुलिस अधिकारियों सहित), ऐसे व्यक्तियों/अधिकारियों आदि के पते और टेलीफोन नंबर दिए हुए होंगे जिससे कि नए छात्र को ऐसे मामलों में मदद के लिए वरिष्ठों की तरफ न देखना पड़े और उनके प्रति आभारी न होना पड़े और उनके कहने पर सही या गलत काम न करने पड़े। इस तरह की कार्रवाई से नए छात्रों की अपने वरिष्ठों के प्रति निर्भरता कम हो जाएगी।

9.2.2 संस्थान उपर्युक्त लीफलेट के माध्यम से नए छात्रों को उनके प्रवेश और दिशा–अनुकूलन की व्यवस्था के बारे में समझाएगा जोकि उन्हें छात्रों के रूप में पूरी तरह समाकलित किए जाने के एक प्रभावी और कारगर साधन को बढ़ावा देंगे।

9.2.3 उपर्युक्त लीफलेट नए छात्रों को संस्थान के प्रमाणिक छात्रों के रूप में उनके अधिकारों की बाबत भी बताएगा और उन्हें इस आशय के स्पष्ट अनुदेश देगा कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, भले ही इस बारे में वरिष्ठों ने आदेश दिए हों और यह कि उन्हें किसी बात से डरना नहीं चाहिए क्योंकि संस्थान उनकी चिंता करता है और उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करेगा।

9.2.4 उपर्युक्त लीफलेट में संस्थान द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का एक कैलेंडर शामिल रहेगा जिससे कि नए छात्रों को संस्थान के शैक्षणिक परिवेश से परिचित कराने में सुविधा और पूर्ति हो सके।

9.2.5 संस्थान "नए छात्रों" और वरिष्ठों के संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

9.2.6 नए छात्रों को रैगिंग की घटनाओं के बारे में, चाहे पीड़ितों के रूप में यहां तक कि गवाहों के रूप में सूचित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.3 शैक्षणिक वर्ष के अंत में

9.3.1 प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रिंसीपल/संकाय अध्यक्ष उन छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों को जोकि पहला वर्ष पूरा कर रहे हैं एक पत्र भेजेगा जिसमें उन्हें रैगिंग से संबंधित विधि और दंडों के बारे में सूचित किया जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने वार्डो से, जब वे अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू में वापिस आएं तो रैगिंग में प्रवृत्त न होने के लिए कहें।

9.3.2 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में संस्थान "परामर्शी" सेल की स्थापना करेगा जिसमें आगामी शैक्षणिक वर्ष के परामर्शदाता शामिल होंगे। परामर्शदाताओं के स्तरों अथवा टियरों की संख्या उतनी ही होगी जितना संस्थान में बैचों की संख्या है अर्थात 6 नए छात्रों के लिए एक परामर्शदाता तथा निम्न स्तर के 6 परामर्शदाताओं के लिए उच्चतर स्तर का एक परामर्शदाता।

9.4 समितियों की स्थापना और उनके कार्य

9.4.1 रैगिंग–विरोधी समिति

रैगिंग–विरोधी समिति संस्थान के अध्यक्ष की अध्यक्षता में काम करेगी और उसमें संकाय सदस्यों, माता–पिता, छात्रों में नए छात्रों की श्रेणी के छात्रों और वरिष्ठ छात्रों और गैर–शिक्षण स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति रैगिंग–विरोधी दस्ते की सिफारिशों पर विचार करेगी और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध उपयुक्त दंड निर्धारित करने के साथ–साथ समुचित निर्णय लेगी।

9.4.2 रैगिंग–विरोधी दस्ता

रैगिंग–विरोधी दस्ता संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा जिसमें आवश्यकता के अनुसार प्रतिनिधित्व रहेगा और परिसर समुदाय के विभिन्न खंडों के सदस्य शामिल होंगे। यह दस्ता सतर्कता निरीक्षण और चौकसी के कार्य करेगा। इसे सदैव सचल, सतर्क और सक्रिय रखा जाएगा तथा इसे संभावित रैगिंग के स्थानों का निरीक्षण करने और छात्रावासों तथा अन्य संभावित स्थलों पर औचक छापा मारने के अधिकार दिए जाएंगे। यह दस्ता रैगिंग की घटनाओं की जांच करेगा और रैगिंग–विरोधी समिति को सिफारिश भेजेगा तथा उपर्युक्त समिति के मार्गदर्शन में काम करेगा।

9.4.3 रैगिंग पर मानीटरन सेल

संस्थान में रैगिंग पर एक मानीटरन सेल होगा जोकि दिशा–अनुकूलन कार्यक्रम, परामर्शी सत्र आदि आयोजित करने के अनुदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में तथा रैगिंग की घटनाओं, वार्डनों और अन्य कार्मिकों आदि को पेश आ रही समस्याओं के संबंध में रैगिंग–विरोधी समितियों, दस्तों और परामर्शी सेलों के क्रियाकलापों का समन्वय करेगा। यह सेल उनके द्वारा किए गए रैगिंग–विरोधी उपायों के प्रचार के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी करेगा, प्रति वर्ष अभ्यर्थियों/छात्रों और उनके माता–पिता• तथा अभिभावकों से प्रतिज्ञाओं की प्राप्ति की परस्पर जांच करेगा और संस्थान के स्तर पर रैगिंग–विरोधी उपायों के कार्यान्वयन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए कार्रवाई की शुरूआत करने के मामले में अग्रणीप्रवर्तक होगा।

9.5 अन्य उपाय

9.5.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरू में प्रत्येक छात्र द्वारा अर्थात नए छात्रों और साथ ही वरिष्ठों द्वारा उपर्युक्त विनियमों के पैरा 9.1.4, 9.1.5 और 9.1.7 में उल्लिखित संलग्नक प्रस्तुत किए जाएंगे।

9.5.2 संस्थान नए शैक्षणिक वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान छात्रों के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं द्वारा नियमित और नियतकालिक मनोवैज्ञानिक परामर्श और दिशा–अनुकूलन (नए छात्रों के लिए अलग से और साथ ही वरिष्ठों के साथ संयुक्त रूप से) की व्यवस्था करेगा। यह व्यवस्था संस्थान तथा विभाग/पाठ्यक्रम स्तर पर की जाएगी। इस तरह के सत्रों में माता–पिता और अध्यापकों को भी शामिल किया जाएगा।

9.5.3 ऊपर 9.1.9 में बताए अनुसार महत्वपूर्ण स्थलों पर पोस्टर लगाने के अलावा संस्थान श्रव्य–दृश्य सहायक सामग्री, परामर्श सत्रों, कार्यशालाओं, छात्रों के बीच चित्रकला और डिजाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से तथा अन्य ऐसी विधियों द्वारा जो वह उचित समझे रैगिंग के विरोध में व्यापक प्रचार के लिए उपाय करेगा।

9.5.4 वार्डनों की नियुक्ति यूजीसी अथवा संबंधित विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी जो अनुशासन बनाए रखने के अधिकार तथा नियंत्रण पक्षों और साथ ही क्लासरूम स्थितियों से बाहर युवकों को परामर्श देने और उनके साथ बातचीत करने के सुकोमल कौशलों के भी परिचायक होंगे। ये वार्डन हर समय उपलब्ध रहेंगे और उन्हें मोबाइल फोन मुहैया कराए जाएंगे। संस्थान रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने में प्रवृत्त वार्डनों तथा अन्य अधिकारियों के अधिकारों और परिलब्धियों की समीक्षा करेगा और उसमें समुचित बढ़ोतरी करेगा।

9.5.5 छात्रावासों में तैनात किए गए सुरक्षा कार्मिक वार्डनों के सीधे नियंत्रण में होंगे और उनका आकलन वार्डनों द्वारा किया जाएगा।

9.5.6 निजी वाणिज्यिक रूप से प्रबंधित लाज और होस्टल स्थानीय पुलिस अधिकारियों के यहां पंजीकृत कराए जाएंगे और यह काम संस्थान के अध्यक्ष की सिफारिश पर अनिवार्यतः किया जाएगा। स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन तथा संस्थान के अधिकारी रैगिंग की परिभाषा में आने वाली घटनाओं पर निगाह सुनिश्चित रखेंगे तथा ऐसे स्थलों पर रैगिंग की घटना होने पर कार्रवाई करने के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार होंगे जैसेकि परिसर के भीतर हुई घटनाओं के लिए होते हैं। इस तरह के निजी छात्रावासों के प्रबंधकवर्ग अपने परिसर में होने वाले रैगिंग के मामलों की सूचना न देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

9.5.7 संस्थान के अध्यक्ष रैगिंग–विरोधी दस्ते की सिफारिश के संबंध में तत्काल कार्रवाई करेंगे। यदि परिस्थितियों की दृष्टि से यह जरूरी हो तो वह स्वतः भी कार्रवाई करेगा/करेगी।

9.5.8 जो नए छात्र पीड़ितों के रूप में अथवा गवाहों के रूप में रैगिंग की घटनाओं की सूचना नहीं देंगे उन्हें भी समुचित रूप से दंडित किया जाएगा।

2961 4ㅁ 09-2

9.5.9 शैक्षणिक वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान संस्थान द्वारा हर पखवाड़े में छात्रों के पहले वर्ष के बैच (नए छात्र) के बीच अनामित यादृच्छिक सर्वेक्षण किया जाएगा जिससे कि इस बात का सत्यापन किया जा सके और परस्पर जांच की जा सके कि क्या परिसर वस्तुतः रैगिंग से मुक्त या नहीं। इस तरह के सर्वेक्षण करने के लिए संस्थान स्वयं अपनी प्रविधि तैयार कर सकता है।

9.5.10 प्रमाण प्रस्तुत करने का भार रैगिंग करने वाले पर रहेगा और पीड़ित पर नहीं रहेगा।

9.5.11 जब कभी रैगिंग के किसी मामले की सूचना दी जाती है तो संस्थान पुलिस/स्थानीय अधिकारियों के पास एक एफआईआर दायर करेगा लेकिन पुलिस/स्थानीय अधिकारियों की तरफ से किसी कार्रवाई का इंतजार किए बिना अपनी स्वयं की जांच तथा अन्य उपाय जारी रखेगा। घटना होने के एक सप्ताह के भीतर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और पूरी कर ली जाएगी।

9.5.12 संस्थान द्वारा छात्रों को जारी किए गए प्रवास/अंतरण प्रमाण–पत्र में सामान्य आचरण और व्यवहार के अलावा इस आशय की एक प्रविष्टि होगी कि क्या छात्र को रैगिंग करने अथवा रैगिंग के लिए दुष्प्रेरण के वास्ते दंडित किया गया है अथवा नहीं और साथ ही क्या छात्र ने लगातार हिंसात्मक अथवा आक्रामक व्यवहार अथवा दूसरों को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है।

9.5.13 रैगिंग को रोकना अथवा उसके विरुद्ध कार्रवाई करना संस्थान में अधिकारियों अथवा कार्मिकों जिनमें संकाय भी शामिल होगा के सभी स्तरों और वर्गों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी और यह मात्र रैगिंग को रोकने के लिए गठित की गई किसी विशिष्ट निकाय/समिति की जिम्मेदारी नहीं होगी।

9.5.14 विश्वविद्यालयों को छोड़कर संस्थानों के अध्यक्ष उस विश्वविद्यालय के उप–कुलपति को जिसके साथ संस्थान को संबंधन अथवा विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त है रैगिंग–विरोधी उपायों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में नए शैक्षणिक वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान साप्ताहिक रिपोर्ट और उसके बाद प्रति माह रिपोर्ट भेजेंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय का उप–कुलपति विश्वविद्यालय की बाबत संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के मामले में रैगिंग संबंधी मानीटरन सेल की रिपोर्टों सहित कुलप्रति को पाक्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

9.5.15 क्लासरूमों, सेमिनार हालों, पुस्तकालय आदि को छोड़कर होस्टलों तथा परिसरों में मोबाइल फोन और सार्वजनिक फोन की सुलभता अबाधित रहेगी।

9.6 नए छात्रों और वरिष्ठों के बीच स्वस्थ वैचारिक आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय

9.6.1 संस्थान पाठ्यक्रम प्रभारी, छात्र सलाहकार, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्रों सहित उपयुक्त समितियां स्थापित करेगा जिससे कि नए छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्वस्थ वैचारिक आदान–प्रदान का सक्रिय रूप से मानीटरन, प्रोत्साहन और विनियमन किया जा सके।

9.6.2 दाखिलों के शीघ्र बाद और बेहतर हो कि शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के पहले दो सप्ताहों के भीतर वरिष्ठ सदस्यों तथा संकाय द्वारा मिलकर प्रत्येक विभाग में नए छात्रों की स्वागत पार्टियां आयोजित की जाएं जिससे कि एक–दूसरे का समुचित परिचय प्राप्त हो सके और जहां नए छात्रों की प्रतिभाएं संकाय की उपस्थिति में खुलकर सामने आ सके और इस प्रकार अपनी हीन भावना से, यदि कोई हो तो, मुक्ति पाने में और अपने अवरोधों को दूर करने में उनकी मदद की जा सके।

9.6.3 मूल्यांकन और संकाय नियुक्तियों की वास्तविक प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों को छोड़कर संस्थान सभी मामलों में छात्रों को सहयोजित करके छात्र–संकाय वैचारिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देगा जिससे कि छात्र ऐसा महसूस करें कि वे संस्थान के कार्यों का प्रबंध करने में और फलतः संस्थान के उत्तम कार्य/निष्पादन के लिए संस्थान को जो गौरव प्रदान किया जाता है उसके लिए भी जिम्मेदार भागीदार हैं।

10. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मानीटरन तंत्र

10.1 भारतीय दंत्य परिषद में भी एक रैगिंग–विरोधी सेल होगा जोकि रैगिंग–विरोधी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जानकारी का संग्रह करने तथा मानीटरन करने और संस्थान स्तरीय समितियों के साथ समन्वय करने के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करने के वास्ते एक संस्थानगत तंत्र के रूप में होगा।

10.2 यदि डीसीआई को यह पता चलता है कि किसी संस्थान ने उसके यहां हुए रैगिंग के किसी मामले के संबंध में झूठी/जाली रिपोर्ट प्रस्तुत की है अथवा डीसीआई को किसी दंत्य संस्थान में हुई रैगिंग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो डीसीआई वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के लिए स्वयं अपना तथ्य–अन्वेषण दल भेजेगा। टीए/डीए अथवा यदि कोई अन्य वित्तीय खर्च किया जाएगा तो उसका भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा।

11. दंड

11.1 संस्थान के स्तर पर

संस्थान की रैगिंग–विरोधी समिति द्वारा स्थापित अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर संस्थान के स्तर पर रैगिंग के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों पर निम्नांकित संभावित दंडों में से कोई एक अथवा दंडों का कोई एक मिश्रण लगाया जाएगा:

11.1.1 क्लासों में उपस्थित होने और शैक्षणिक अधिकारों का निलंबन।

11.1.2 छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभ रोकना/वापिस लेना।

11.1.3 किसी परीक्षण/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में बैठने से विवर्जित किया जाना।

11.1.4 परिणाम रोक लेना।

11.1.5 किसी क्षेत्रीय राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, टूर्नामेंट, युवा महोत्सव आदि में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से विवर्जित किया जाना।

11.1.6 छात्रावास से निलंबन/निष्कासन।

11.1.7 दाखिला रद्द किया जाना।

11.1.8 संस्थान से एक से चार सेमेस्टरों तक की अवधि के लिए बहिष्कार।

11.1.9 संस्थान से निष्कासन और एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्थान में दाखिले के लिए विवर्जित किया जाना।

11.1.10 25000 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना।

11.1.11 सामूहिक दंड: जब रैगिंग करने या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति की पहचान न की जा सके तो संस्थान सामूहिक दंड का रास्ता अपना सकता है।

11.2 संबंधनप्राप्त संस्थानों के बारे में विश्वविद्यालय के स्तर पर: यदि कोई संस्थान इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तथा रैगिंग पर प्रभावी रूप से रोक लगाने में असमर्थ रहता है तो विश्वविद्यालय उसके ऊपर इनमें से कोई एक अथवा दंडों का कोई एक मिश्रण लगाएगा:

11.2.1 संबंधन तथा/अथवा संस्थान को दिए गए अन्य अधिकारों की समाप्ति ।

11.2.2 संस्थान में अध्ययन के किसी कार्यक्रम में भाग लेने वाले किन्हीं छात्रों को विश्वविद्यालय की किसी डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करने से संस्थान को रोकना।

11.2.3 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुदान, यदि कोई हो तो, रोकना।

11.2.4 संस्थान को विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदत्त किन्हीं अनुदानों को, यदि कोई हो तो, रोकना।

11.2.5 विश्वविद्यालय के अधिकारों के भीतर कोई अन्य उपयुक्त दंड।

11.3 **प्रबंध स्तर पर**

संस्थान के प्राधिकारी/प्रबंधक वर्ग (ट्रस्ट सोसायटी आदि) विशेष रूप से संस्थान का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो। यदि रैगिंग की कोई घटना घटती है तो वह प्रबंधक वर्ग/अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल और उपयुक्त कार्रवाई करेगा जिनके कर्त्तव्य की लापरवाही से यह घटना हुई। तदनंतर अध्यक्ष को नियुक्त करने वाला पदनामित अधिकारी अध्यक्ष के विरुद्ध तत्काल और उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

11.4 **डीसीआई के स्तर पर**

यदि कोई संस्थान रैगिंग पर रोक लगाने में असफल रहता है तो भारतीय दंत्य परिषद निम्न दंडों में से कोई एक अथवा दंडों का कोई एक मिश्रण लगाएगी:

11.4.1 दंत्य चिकित्सा अधिनियम, 1948 के खंड 16ए के अधीन संस्थान के विरुद्ध मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करना।

11.4.2 संस्थान की दाखिला क्षमता में उतनी कमी करना जितना परिषद उचित समझे।

11.4.3 अगले आदेश होने तक संस्थान में और आगे दाखिले बंद करना।

11.4.4 यूजी/पीजी दंत्य पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुमति का नवीकरण बंद करना।

11.4.5 संबंधित संस्थान पर इस तरह लगाए गए दंडों से संबंधित सूचना सभी संबंधितों की जानकारी के लिए डीसीआई के वेबसाइट पर प्रस्तुत करना।

12. **डीसीआई को रिपोर्टों की प्रस्तुति**

प्रत्येक संस्थान निम्न समय–सूची के अनुसार निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक–II) में अपनी रिपोर्टें सचिव, भारतीय दंत्य परिषद, एवान–ए–गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002 को प्रस्तुत करेगा।

12.1 जिस वर्ष में दाखिला किया जाता है ऐसे प्रत्येक वर्ष की 31 अक्तूबर तक, जिसमें इन विनियमों के विनियम 9.1 तथा 9.2 के कार्यान्वयन के संबंध में संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाई गई होगी, जिसके न किए जाने पर दोषी संस्थान के विरुद्ध विनियम 11.4 में निर्दिष्ट कार्रवाई की जाएगी; तथा

12.2 पिछले शैक्षणिक सत्र के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में (संलग्नक–II) प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक, जिसमें उसके प्रत्येक कालम के सामने दी गई अपेक्षित जानकारी दर्शाई गई हों जिसके न किए जाने पर दोषी संस्थान के विरुद्ध विनियम 11.4 में उल्लिखित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. पी. एन. अवस्थी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./98/09]

संलग्नक–I, भाग–I

अभ्यर्थी/छात्र द्वारा प्रतिज्ञा

1. मैंने.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री.....रैगिंग का प्रतिषेध करने वाली विधि और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है।

2. मुझे दंत्य कालेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 की एक प्रति मिल गई है और मैंने उसे सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है।

3. मैं एतद्द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूं कि

- मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में प्रवृत्त नहीं होउंगा जो रैगिंग की परिभाषा के तहत आता हो।
- मैं रैगिंग के किसी भी रूप में अथवा उसके दुष्प्रेरण में अथवा उसके प्रसार में हिस्सा नहीं लूगा।
- मैं किसी को भी शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक रूप में कोई क्षति अथवा कोई अन्य नुकसान नहीं पहुंचाउंगा।

4. मैं एतद्द्वारा यह स्वीकार करता हूं कि यदि मैं रैगिंग के किसी पक्ष का दोषी पाया गया तो मुझे उपर्युक्त डीसीआई विनियमों तथा/अथवा लागू विधि के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

5. मैं एतद्द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं कि मुझे दाखिले के लिए किसी संस्थान द्वारा निष्कासित अथवा विवर्जित नहीं किया गया है।

वर्ष.....के.....महीने के.....दिन को हस्ताक्षरित

नाम पता हस्ताक्षर

संलग्नक–I, भाग–II

माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिज्ञा

1. मैंने.....जोकि.....का पिता/माता/अभिभावक हूं रैगिंग का प्रतिषेध करने वाली विधि और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों और साथ ही दंत्य कालेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियमों को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है।

2. मैं आपको विश्वास दिलाता/दिलाती हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के किसी भी कृत्य में प्रवृत्त नहीं होगा/होगी।

3. मैं एतद्द्वारा इस बात की पुष्टि करता/करती हूं कि यदि वह रैगिंग के किसी भी पक्ष का दोषी पाया गया/पाई गई तो उसे उपर्युक्त डीसीआई विनियमों तथा/अथवा लागू विधि के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

वर्ष.....के.....महीने के.....दिन को हस्ताक्षरित

नाम पता हस्ताक्षर

संलग्नक–II

शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध उपायों के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का मानीटरन करने के लिए प्रपत्र

क्रम संख्या	संस्थान का नाम, पूरा पता और टेलीफोन नंबर		
	प्रिंसीपल/संकायाध्यक्ष का नाम और उनका सीधा संपर्क नंबर		
	कार्रवाई		
1.	क्या रैगिंग–विरोधी दस्तों का गठन किया गया?	हां/नहीं	
2.	क्या रैगिंग–विरोधी समिति का गठन किया गया?	हां/नहीं	
3.	क्या विवरणिका में रैगिंग के विरुद्ध संभावित कार्रवाई का उल्लेख किया गया है?	संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें (विवरणिका की एक प्रति संलग्न की जाए)	
4.	जिन अधिकारियों के साथ संपर्क किया जाना है–क्या नए छात्रों को उनके नाम, टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा दिए गए हैं?	–वही–	
5.	क्या छात्रों को समय पर सूचित करने के लिए होस्टल (होस्टलों) में टेलीफोन (सेन और लैंडलाइन) की निर्बाध सुलभता प्रदान की गई है?	–वही–	
6.	क्या वरिष्ठों को परामर्श दिया गया है?	–वही–	
7.	क्या नए छात्रों को परामर्श दिया गया है?	–वही–	
8.	क्या नए छात्रों के लिए दिशा–अनुकूलन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं?	–वही–	
9.	रैगिंग–विरोधी दस्ते	9(क) गठन की तारीख 9(ख) सदस्यों के नाम तथा उनके संपर्क टेलीफोन नंबर 9(ग) छापों की संख्या 9(घ) छापों की आवृत्ति 9(ङ) औचक छापे 9(च) दस्ते द्वारा किए गए अन्य उपाय 9(छ) पकड़े गए मामलों की संख्या 9(ज) अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में की गई कार्रवाई	
10.	रैगिंग–विरोधी समिति	10(क) गठन की तारीख 10(ख) सदस्यों के नाम तथा उनके संपर्क टेलीफोन नंबर 10(ग) छापों की संख्या 10(घ) छापों की आवृत्ति 10(ङ) औचक छापे 10(च) दस्ते द्वारा किए गए अन्य उपाय 10(छ) पकड़े गए मामलों की संख्या 10(ज) अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में की गई कार्रवाई	
11.	की गई जांच (जांचें)		
12.	दिया गया दंड	12(क) निलंबन 12(ख) बहिष्कार 12(ग) निष्कासन	
13.	संस्थान द्वारा दायर की गई एफआईआर विवरणों सहित		

14.	क्या दाखिले से पूर्व सभी छात्रों से प्रतिज्ञाएं प्राप्त हो गई थी? (संलग्नक–I, भाग–I) के अनुसार	हां/नहीं	
15.	क्या दाखिले से पूर्व सभी माता–पिता/अभिभावकों से प्रतिज्ञाएं प्राप्त हो गई थीं? (संलग्नक–I, भाग–II) के अनुसार	हां/नहीं	

मोहर सहित प्रिंसीपल के हस्ताक्षर

संलग्नक–ए

केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद, प्रिंसीपल्स कालेजेज, केरल तथा अन्य के मामले में 2009 की सिविल याचिका संख्या 887 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के उद्धरण

- प्रत्येक संस्थान को 'नए छात्रों' को आगे के जीवन के लिए, विशेष रूप से होस्टलों के जीवन के साथ समायोजित करने के वास्ते तैयार करने के उद्देश्य से दाखिले के समय व्यावसायिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करनी चाहिए अथवा उनकी सहायता प्राप्त करनी चाहिए।
- स्थितिअनुसार पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह के बाद वरिष्ठ छात्रों के आगमन पर निम्नानुसार और आगे दिशा–अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए (i) किसी व्यावसायिक परामर्शदाता द्वारा 'नए छात्रों' और वरिष्ठों–दोनों के लिए संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम और परामर्श; (ii) 'नए छात्रों' और वरिष्ठों का संयुक्त दिशा–अनुकूलन कार्यक्रम जिसे संस्थान के प्रिंसीपल/अध्यक्ष तथा रैगिंग–विरोधी समिति द्वारा संबोधित किया जाएगा; (iii) बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अन्य क्रियाकलापों का आयोजन जिससे कि 'नए छात्रों' और वरिष्ठों को संकाय सदस्यों की उपस्थिति में वैचारिक आदान–प्रदान करने का एक मंच उपलब्ध कराया जा सके; (iv) होस्टल में वार्डन को सभी छात्रों को संबोधित करना चाहिए; वह कालेज के संकाय के दो कनिष्ठ सहकर्मियों को अस्थायी अवधि के लिए आवासी ट्यूटर बनकर वार्डन की सहायता करने का अनुरोध कर सकता है;
- प्रत्येक संस्थान में एक रैगिंग–विरोधी समिति और एक रैगिंग–विरोधी दस्ता होना चाहिए। रैगिंग–विरोधी दस्ते और साथ ही रैगिंग–विरोधी समिति—दोनों के सदस्यों में स्तरों और लैंगिक दृष्टि से एक वैविध्यपूर्ण मिश्रण होना जरूरी है। संस्थान के स्तर पर रैगिंग–विरोधी समिति के सदस्यों में सिविल और पुलिस प्रशासन, स्थानीय मीडिया, युवा कार्यों में प्रवृत्त गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता–पिता के प्रतिनिधि, नए छत्रों की श्रेणी और साथ ही वरिष्ठों, गैर–शिक्षण स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए तथा समिति की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष को करनी चाहिए।
- इसके विपरीत रैगिंग–विरोधी दस्ता सतर्कता, निरीक्षण और चौकसी के कार्य करने वाला एक निकाय होना चाहिए और वह समुचित रूप से एक छोटा निकाय होना चाहिए जिसे संस्थान के अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों सहित नामित किया जाना चाहिए जिन्हें दस्ते को सदैव सचल चौकस और सक्रिय बनाए रखने की दृष्टि से जरूरी समझा जाए। इस दस्ते को होस्टलों तथा अन्य संभावित स्थलों पर औचक छापा डालने को कहा जा सकता है और उसे रैगिंग के संभावित स्थलों का निरीक्षण करने के अधिकार दिए जाने चाहिए। इस दस्ते में कोई बाहरी प्रतिनिधि शामिल नहीं होना चाहिए और उसके सदस्यों में केवल परिसर समुदाय के विभिन्न वर्गों के व्यक्ति ही शामिल होने चाहिए।
- शिक्षण संस्थानों के बीच शांति और व्यवस्था का अतिक्रमण करने वाले अथवा शांति को अथवा लोक–शांति को भंग करने वाले मामलों को छोड़कर, जिन पर देश के दांडिक विधियों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए अनुशासन से जुड़े सभी मामले परिसर में हल कर लिए जाने चाहिए।
- विश्वविद्यालय के स्तर पर रैगिंग की बाबत एक मानीटरन सेल होना चाहिए जिसे अपने अधिकार–क्षेत्र के अधीन संबंधनप्राप्त कालेजों तथा संस्थानों के साथ समन्वय करना चाहिए। इस सेल को संस्थान के अध्यक्षों से रैगिंग–विरोधी समितियों, रैगिंग–विरोधी दस्ते, संस्थान के स्तर पर परामर्शदाता सेलों के क्रियाकलापों के बारे में, दिशा–अनुकूलन कार्यक्रम, परामर्श सत्र आयोजित करने, रैगिंग की घटनाओं, वार्डनों तथा अन्य अधिकारियों को पेश आ रही समस्याओं के संबंध में अनुदेशों के अनुपालन के बारे में रिपोर्टें मंगानी चाहिए। साथ ही इसे जिला स्तर की रैगिंग–विरोधी समिति के निर्णयों की अद्यतन जानकारी रखनी चाहिए। मानीटरन सेल को रैगिंग–विरोधी उपायों का प्रचार करने, रैगिंग क्रियाकलापों से दूर रहने अथवा उल्लंघन करने पर दंडित होने की तत्परता के विषय में प्रति वर्ष माता–पिता और छात्रों से प्रतिज्ञाएं मंगाने की दिशा में संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा भी करनी चाहिए; और उसे संस्थान के स्तर पर रैगिंग–विरोधी उपायों के कार्यान्वयन को सुविधापूर्ण बनाने के प्रयोजन से संविधियों अथवा अध्यादेशों अथवा उप–विधियों को संशोधित करने के वास्ते विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों की ओर से कार्रवाई शुरू किए जाने में अग्रणी प्रवर्तक की भूमिका निभानी चाहिए।
- परिसर से बाहर निजी वाणिज्यिक रूप से प्रबंधित लाजों अथवा छात्रावासों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के होस्टलों और प्रबंधकवर्ग को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के यहां पंजीकरण कराना होगा तथा ऐसे होस्टल शुरू करने अथवा पंजीकृत कराए जाने के लिए अनुमति की अनुशंसा अनिवार्यतः शैक्षिक संस्थानों के अध्यक्षों द्वारा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन—दोनों के लिए और साथ ही संस्थानगत अधिकारियों के लिए भी यह जरूरी होना चाहिए कि वे रैगिंग की परिभाषा के अधीन आने वाली घटनाओं पर नजर रखना सुनिश्चित करें। ऐसे परिसरों में रैगिंग के मामलों की सूचना न देने की जिम्मेदारी ऐसे निजी होस्टलों के प्रबंधकवर्ग पर होगी। ऐसे परिसरों में होने वाली रैगिंग की घटना के संबंध में कार्रवाई करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी और साथ ही संस्थानगत अधिकारी ठीक उसी तरह जिम्मेदार होंगे जैसेकि वे परिसर के भीतर होने वाली घटनाओं के लिए होते हैं।

2961CI/09-3

- ऊपर बताए अनुसार निजी होस्टलों का पंजीकरण करने के अलावा, ऐसे कस्बों अथवा शहरों को, जहां शैक्षिक संस्थान स्थित है संकाय सदस्यों के बीच सेक्टरों के रूप में आबंटित कर दिया जाना चाहिए ताकि वे चौकसी रख सकें और परिसर के बाहर तथा जिस मार्ग से 'नए छात्र' आते–जाते हैं, उस मार्ग में होने वाली रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट कर सके।
- वार्डन हर समय सुलभ होने चाहिए और इसलिए यह जरूरी है कि वे टेलीफोन तथा संचार के अन्य माध्यमों पर उपलब्ध रहें। संस्थानों द्वारा वार्डनों को मोबाइल फोन अवश्य जारी किए जाने चाहिए और टेलीफोन नंबर के ब्यौरों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार संस्थान अध्यक्षों, संकाय सदस्यों, रैगिंग–विरोधी समितियों के सदस्यों, जिला और उप–मंडल अधिकारियों तथा जहां प्रासंगिक हो वहां राज्य अधिकारियों जैसे अन्य अधिकारियों के टेलीफोन नंबरों का भी व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति आपातिक स्थिति में उनसे संपर्क कर सके अथवा सहायता मांग सके।
- रैगिंग अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में प्रवृत्त न होने की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में प्रत्येक छात्र को बांटी गई विवरणिकाओं अथवा बुकलेट अथवा लीफलेट में रोकथाम की कार्ययोजना तथा निवारण की विधियां शामिल होंगी।
- शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक होस्टल में एक पूर्णकालिक वार्डन हो जोकि होस्टल के भीतर अथवा कम से कम उसके अत्यंत निकट स्थान पर रहता हो।
- संस्थानों को पूर्णकालिक वार्डनों के पद के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देने चाहिए जिससे कि उपयुक्त अभ्यर्थियों को आकृष्ट किया जा सके।
- प्रत्येक छात्र तथा उसके माता–पिता/अभिभावकों द्वारा प्रतिज्ञात शपथ–पत्रों में से एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ये शपथ–पत्र इलेक्ट्रानिक ढंग से स्टोर किए जाएंगे और उनमें प्रत्येक छात्र से संबंधित विवरण शामिल होंगे। यह डाटाबेस प्राप्त हुई रैगिंग की शिकायतों की रिकार्ड के रूप में भी काम करेगा।
- जो संस्थान रैगिंग की रोकथाम में सामयिक उपाय नहीं करते और रैगिंग में प्रयुक्त व्यक्तियों को दंड नहीं देते उनके संस्थान के अध्यक्षों/प्रशासनों के लिए दांडिक कार्रवाई। ऐसे संस्थान अध्यक्ष/प्रशासन के सदस्य/संकाय सदस्यों/गैर–शिक्षण स्टाफ जो रैगिंग की शिकायतों के प्रति उदासीन अथवा असंवेदनशील अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं उनके विरुद्ध दांडिक कार्रवाई के अलावा विभागीय जांच भी शुरू की जा सकती है।
- रैगिंग की बुराइयों तथा उसकी रोकथाम के संबंध में केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि संकाय को भी संवेदीकृत किया जाना जरूरी है। गैर–शिक्षण स्टाफ जिसमें प्रशासनिक स्टाफ, संविदागत कर्मचारी, सुरक्षा स्टाफ आदि शामिल रहते हैं उन्हें रैगिंग की बुराइयों और परिणामों के बारे में नियमित रूप से संवेदीकृत किया जाना चाहिए।
- संस्थान/विभाग का प्रिंसीपल अथवा अध्यक्ष संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी से जिसमें शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टाफ के सदस्य, परिसर में कैंटीन चलाने अथवा चौकदारी स्टाफ के रूप में अथवा भवनों, लान आदि के सफाई अथवा रखरखाव के लिए नियुक्त संविदागत श्रमिक शामिल हैं से इस आशय का एक आश्वासन प्राप्त करेगा कि वे उनकी जानकारी में आने वाले रैगिंग के किसी भी मामले की तत्काल रिपोर्ट देगा। स्टाफ के जो सदस्य रैगिंग की जो रिपोर्ट देंगे उनकी सराहना के रूप में जारी किए जाने वाले प्रमाण–पत्र जोकि उनकी सर्विस रिकार्ड का हिस्सा बनेंगे के वास्ते सेवा नियमों में प्रावधान किया जाएगा।
- यह देखने में आता है कि कालेज की कैंटीनें और होस्टल के मेस भी ऐसे स्थान हैं जहां अक्सर रैगिंग की घटनाएं होती हैं। कैंटीनों/मेस के नियोक्ताओं/कर्मचारियों को कड़ी निगाह रखने और रैगिंग की घटनाओं की, यदि कोई हो तो, कालेज अधिकारयों को रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए जाएंगे।
- नए छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे–छोटे समूहों में बांटा जाएगा और ऐसा प्रत्येक समूह स्टाफ के एक सदस्य को आबंटित किया जाएगा। स्टाफ का यह सदस्य संस्थान में नए छात्र को पेश आ रही समस्याओं/कठिनाइयों के बारे में, यदि कोई हो तो, जानने के लिए दैनिक आधार पर समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेगा और जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगा।
- होस्टल में दाखिल होने वाले नए छात्रों के मामले में समूह के प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह होस्टल के वार्डन के साथ समन्वय स्थापित करे और होस्टल के जिन कमरों में समूह के सदस्य रह रहे हैं उनमें औचक दौरे करें।
- नए छात्रों को, जहां कहीं संभव होगा एक अलग होस्टल ब्लाक में रखा जाएगा और जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हो वहां कालेज/संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि नए छात्रों के निवास पर वरिष्ठों की आवाजाही का वार्डनों, सुरक्षा गार्डों और कालेज स्टाफ द्वारा कड़ाई से मानीटरन किया जाए।
- रैगिंग की घटनाएं अधिकतर कालेज में क्लास खत्म होने के बाद होस्टलों में घटती है। होस्टल परिसरों में रैगिंग के विरुद्ध 24 घंटे की चौकसी उपलब्ध कराई जाएगी।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2009

No. DE-167-2008.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-Section 2 of Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) and directives dated 25.3.2009 issued by the Raghvan Committee, constituted by the Hon'ble Supreme Court in its Order dated 16.5.2007 in Special Leave to Appeal (Civil) No.(s) 24295/2004 from the judgement and order dated 24.6.2004 in

WP No. 30845/2003 of the High Court of Kerala at Ernakulam, Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations :-

1. **Short title and commencement:-**
   (i) These Regulations may be called the DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009.
   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Notwithstanding anything contained in the Dentists Act, 1948 and any of the regulations made thereunder as amended from time to time, it shall be the duty and responsibility of Management/Principal of the Dental Colleges to create a conducive atmosphere for imparting dental education to the UG/PG Dental students undergoing training in such colleges and take all necessary steps to prevent/prohibit/curb ragging of any type in their Dental Colleges to enable students to study the vast UG/PG Dental Course and its various parameters and concepts of dental education in a calm and peaceful atmosphere as the dental education requires grueling studies.
3. **Various Types of Ragging:-**
   The Raghvan Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court has, inter-alia, mentioned the following types of ragging:-
   (i) Ragging has several aspects with, among others, psychological, social, political, economic, cultural, and academic dimensions.
   (ii) Any act that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of a student should be considered with in the academics related aspect of ragging; similarly, exploiting the services of a junior student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of seniors is also an aspect of academics related ragging prevalent in many institutions, particularly in the professional institutions in medicine.
   (iii) Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a junior student by senior students should be considered an aspect of ragging for ragging economic dimensions.
   (iv) Any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person can be put in the category of ragging with criminal dimensions.
   (v) Any act or abuse by spoken words, emails, snail-mails, public insults should be considered with in the psychological aspects of ragging. This aspect would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to others; the absence of preparing 'freshers' in the run up to their admission to higher education and life in hostels also can be ascribed as a psychological aspect of ragging – coping skills in interaction with seniors or strangers can be imparted by parents as well. Any act that affects the mental health and self-confidence of students also can be described in terms of the psychological aspect of ragging.
   (vi) The political aspect of ragging is apparent from the fact that incidents of ragging are low in institutions which promote democratic participation of students in representation and provide an identity to students to participate in governance and decision making within the institute bodies.
   (vii) The human rights perspective of ragging involves the injury caused to the fundamental right to human dignity through humiliation heaped on junior students by seniors; often resulting in the extreme step of suicide by the victims.
4. **Directions of the Hon'ble Supreme Court of India Regarding Curbing the Menace of Ragging:-**
   The Raghvan Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 24295/2006 has submitted its detailed report to the Hon'ble Supreme Court on 7.5.2007. The Hon'ble Supreme Court vide its Order dated 16.5.2007 has passed the following Order in the matter:-
   "We have perused the Report of the Committee constituted pursuant to this Court's order to suggest remedial measures to tackle with the problem of ragging in educational institutions. An elaborate report has been submitted by the Committee headed by Dr. R.K. Raghavan. According to the Committee, the following factors need to be focused to tackle with the problem:-
      (a) Primary responsibility for curbing ragging rests with academic institutions themselves.
      (b) Ragging adversely impacts the standards of higher education.

(c) Incentives should be available to institutions for curbing the menace and there should be disincentives for failure to do so.

(d) Enrolment in academic pursuits or a campus life should not immunize any adult citizen from penal provisions of the laws of the land.

(e) Ragging needs to be perceived as failure to inculcate human values from the schooling stage.

(f) Behavioural patterns among students, particularly potential 'raggers', need to be identified.

(g) Measures against ragging must deter its recurrence.

(h) Concerted action is required at the level of the school, higher educational institution, district administration, university, State and Central Governments to make any curb effective.

(i) Media and the Civil Society should be involved in this exercise.

The Committee has made several recommendations. For the present, we feel that the following recommendations should be implemented without any further lapse of time:-

(1) The punishment to be meted out has to be exemplary and justifiably harsh to act as a deterrent against recurrence of such incidents.

(2) Every single incident of ragging where the victim or his parent/guardian or the Head of institution is not satisfied with the institutional arrangement for action, a First Information Report must be filed without exception by the institutional authorities with the local police authorities. Any failure on the part of the institutional authority or negligence or deliberate delay in lodging the FIR with the local police shall be construed to be an act of culpable negligence on the part of the institutional authority. If any victim or his parent/guardian of ragging intends to file FIR directly with the police, that will not absolve the institutional authority from the requirement of filing the FIR.

(3) Courts should make an effort to ensure that cases involving ragging are taken up on a priority basis to send the correct message that ragging is not only to be discouraged but also to be dealt with sternness.

In addition, we direct that the possibility of introducing in the educational curriculum a subject relating to ragging shall be explored by the National Council of Educational Research and Training (NCERT) and the respective State Council of Educational Research and Training (SCERT). This aspect can be included in the teaching of the subjects "Human Rights".

In the prospectus to be issued for admission by educational institutions, it shall be clearly stipulated that in case the applicant for admission is found to have indulged in ragging in the past or if it is noticed later that he has indulged in ragging, admission may be refused or he shall be expelled from the educational institution.

The Central Government and the State Governments shall launch a programme giving wide publicity to the menace of ragging and the consequences which follow in case any student is detected to have been involved in ragging.

It shall be the collective responsibility of the authorities and functionaries of the concerned institution and their role shall also be open to scrutiny for the purpose of finding out whether they have taken effective steps for preventing ragging and in case of their failure, action can be taken; for example, denial of any grant-in-aid or assistance from the State Governments.

Anti-ragging committees and squads shall be forthwith formed by the institutions and it shall be the job of the committee or the squad, as the case my be, to see that the committee's recommendations, more particularly those noted above, are observed without exception and if it is noticed that there is any deviation, the same shall be forthwith brought to the notice of this Court.

The committee constituted pursuant to the order of this Court shall continue to monitory the functioning of the anti-ragging committees and the squads to be formed. They shall also monitor the implementation of the recommendations to which reference has been made above....."

"Extracts of the Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 8.5.2009 in Civil Petition No. 887 of 2009 in the matter of University of Kerala vs. Council, Principal colleges, Kerala are also enclosed at **Annexure-A** for information, guidance and **strict compliance** by the dental institutions.